राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सत्यमेव जयते

जनजाति संवाद

न्यूजलेटर : जून-जुलाई 2022

माननीया राष्ट्रपति महोदया

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति से मिले एनसीएसटी अध्यक्ष और सदस्य 02

जनजाति समाज का हमारे देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान है यह ध्यान में लाए जाना जरूरी 03

जनजाति समाज बोझ नहीं बल्कि संपदा है 05

विश्वविद्यालयों के छात्र करेंगे जनजाति के नायकों पर शोध 06

वनाधिकार पर आयोजित हुई कार्यशाला 07

जन-जन तक पहुंचेगी जननायकों की वीरगाथा, एनसीएसटी की कार्यशाला में हुआ चिंतन 08

मूल संस्कृति को प्रभावित किए बिना पहुंचाएं योजनाओं का लाभ 09

मीडिया में आयोग की खबरें 10

राष्ट्रपति से मिले एनसीएसटी अध्यक्ष और सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने 28 जुलाई को आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक व आयोग की सचिव श्रीमती अलका तिवारी के साथ नवनिर्वाचित माननीया राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंटकर उनका अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अभी तक आयोजित की गईं संवाद श्रृंखला 1 "सामुदायिक वन संसाधन एवं पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)" संवाद श्रृंखला 2 "जनजाति ग्रामों में वित्तीय समावेशन व आजिविका का अभिसरण" संवाद श्रृंखला 3 "अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जनजातियों के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रणाली का मूल्यांकन" एवं संवाद श्रृंखला 4 "जनजातियों में शिक्षा की स्थिति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति" की रिपोर्ट की प्रतियां, शॉल और "अंग्रेजी शासन में सामंती शोषण एवं जनजाति भगत आंदोलन गोविंद गुरु का योगदान" नामक पुस्तक भेंट की। माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रपति महोदया से जनजाति समाज से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा भी की।

माननीया राष्ट्रपति महोदया
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

जनजाति समाज का हमारे देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान है यह ध्यान में लाए जाना जरूरी

स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी देशभर के 125 विश्वविद्यालयों में जनजाति नायकों को लेकर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि जनजाति समाज से आने वाले छात्र व समाज के अन्य लोग भी यह जान सकें कि जनजाति समाज का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। ऐसे नायकों की कहानियां लोगों तक पहुंच सकें। विश्वविद्यालयों में जनजाति नायकों के बारे में बताने के लिए जो वक्ता जाएंगे उनके लिए 30 जुलाई को आयोग द्वारा दिल्ली स्थित विश्व युवक केंद्र में 'आजादी का अमृत महोत्सव वक्ता कार्यशाला' आयोजित की गई थी।

कार्यशाला में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने कहा कि अमूमन समझा जाता है कि आयोग का काम जनजाति समाज की शिकायतों का निवारण करना ही है। दरअसल आयोग का केवल यह एक मात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए जो नीतियां बनाई हैं, उनका क्रियान्वयन भी सही प्रकार से हो, यह देखना भी आयोग का ही काम है। जनजाति समाज का हमारे देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान है, इस बारे में बाकी समाज को नहीं पता है। यहां तक कि जनजाति समाज से जो लोग आते हैं उन्हें भी बहुत कम जानकारी है।

इस बारे में देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जनजाति समाज का देश के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है उसमें भी इस बारे में सही से उल्लेख नहीं किया गया है। जनजाति समाज का देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान है इस विषय पर काम ही नहीं हुआ है। इसलिए लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि जनजाति समाज का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं है। वह यदि लड़े भी हैं तो अपने-अपने कारणों से लड़े, लेकिन यदि इतिहास का आंकड़ों के साथ अध्ययन किया जाए तो जो इतिहास सामने आएगा कि जनजाति समाज ऐसा समाज है जिसने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। ये बातें देश और जनजाति समाज दोनों के ध्यान में लाए जाना बेहद जरूरी है।

मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक जनजाति समाज ने लड़ाई लड़ी और गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। जहां भी गुलामी के खिलाफ संघर्ष हुआ है वहां जनजाति समाज की भूमिका रही है, लेकिन इतिहासकारों ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। इन बातों का ध्यान में लाया जाना इसलिए भी जरूरी है कि इसका सीधा असर जनजाति समाज के युवाओं के मानस पर होता है। जैसे जब जनजाति गौरव दिवस घोषित हुआ तो इंदौर में एक चौराहे पर टंट्या भील की प्रतिमा लगी और उनके नाम से उस चौराहे का नाम रखा गया। उसे अब टंट्या भील चौराहा कहा जाता है। वह चौराहा यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में ही स्थित है। इसके बाद जनजाति समाज के छात्रों ने कहा कि इसका उन्हें बहुत फायदा हुआ क्योंकि जब वह वहां गांव से पढ़ने आते थे तो कमरा किराए पर मिलना मुश्किल होता था, सामान्यत: लोग यह पूछते थे कि आप हो कौन, कहां से आए हो, लेकिन अब कोई हमसे पूछेगा तो हम सकते हैं कि जो टंट्या भील चौराहा है हम उनके वंशज हैं।

इससे पता चलता है कि छोटी सी बात का कितना बड़ा असर होता है। इसलिए बहुत आवश्यक लगा कि जब अस्मिता की बात आती है तो स्वयं की अस्मिता का ध्यान आना बेहद जरूरी है। इसकी पहली शुरुआत इस तरह हो सकती है कि अपने इतिहास को हम जानें। इसलिए हमें लगा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में इस पर कार्यक्रम होने चाहिए। इसके लिए देशव्यापी संगठन तंत्र चाहिए तो योजना बनाई गई कि वनवासी कल्याण आश्रम के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को करें। साथ में विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया जहां कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम इस प्रकार हों कि विश्वविद्यालय बड़े आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक जनजाति छात्रों को आमंत्रित करें। आजादी में जनजाति नायकों का योगदान के विषय पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य हो। जिसको सुनने के बाद छात्र को लगे कि मेरे समाज का तो स्वतंत्रता संग्राम में लगातार योगदान रहा है।

जब वह छात्र बाहर निकले तो यह बोल सके कि हमारा ये इतिहास है। वह स्वयं को उससे कनेक्ट कर सके। आयोग आह्वान कर रहा है कि आप इस काम के लिए आयोग से जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। लगभग 125 यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हो जाएंगे अभी तक ऐसा अनुमान है। तैयारी भी अच्छी चल रही है। एक कार्यक्रम 15 अगस्त से पहले है, अधिकांश कार्यक्रम 15 अगस्त के बाद ही होंगे। लगातार एक महीने तक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी, वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय युवा प्रमुख वैभव सुरंगे, देश के विभिन्न प्रांतों से आए विद्वतजन, बुद्धिजीवी, आयोग की सचिव श्रीमती अलका तिवारी, आयोग के संयुक्त सचिव के तऊथांग व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जनजाति समाज बोझ नहीं बल्कि संपदा है

जनजाति समाज और उनके मुद्दों पर शोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। शोध का प्रारंभ विश्वविद्यालयों से होगा, तभी इसका समाधान हो पाएगा

दिल्ली आईआईटी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 24 जुलाई को "जनजाति समुदाय एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विषय" पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में, रांची, पटना, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व आईआईटी रायपुर के अलावा देशभर के 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के कुलपति व उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत में जनजाति समाज की महत्त्वपूर्ण स्थिति रही है। परंतु अंग्रेजों ने परिभाषा बदल दी। उन्होंने औपनिवेशिक कारणों से नई परिभाषाएं गढ़ीं, नए नाम दिए। 'ट्राइबल' शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया और उसकी परिभाषा उन्होंने यूरोपीय तरीके से की, जो भारत पर लागू नहीं होती थी। इस प्रकार लगभग 150 वर्षों से उन्होंने ऐसा एक कथानक गढ़ा जो आज भी जारी है। इस कथानक की रचना उन्होंने नृतत्त्व विज्ञान (Anthropology) के रूप में की। इस कथानक का ही परिणाम है कि जनजाति समाज को बोझ समझा जाता है। सच्चाई यह है कि जनजाति समाज बोझ नहीं, एक संपदा है।

दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जनजाति समाज से आने वाले नायकों जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, ऐसे महानायकों को लेकर शोध करने के लिए कहा है। ताकि उनकी कहानियां भी लोगों तक पहुंच सकें। इसके अलावा जनजाति समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विश्वविद्यालयों से उनके यहां शोधकार्य को बढ़ावा देने के लिए कहा है। सेमिनार में आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने इस विषय पर अधिक प्रकाश डालते हुए कहा कि जनजाति समाज की छवि और उनके यथार्थ में एक बड़ा अंतर है। जनजाति समाज की एक छवि औपनिवेशिक कथानक के आधार पर देश में गढ़ी गई है, जो उनके यथार्थ से पूरी तरह भिन्न है। सामान्यतः नीतियां उस छवि के आधार पर बनती हैं और इसलिए अच्छी नीयत से बनी होने के बाद भी उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसका समाधान विश्वविद्यालयों के पास है। विश्वविद्यालयों में जनजाति समाज को पढ़ाया जाता है कि आपको जो मालूम है, वह आप नहीं हो, हम जो आपके बारे में पढ़ा रहे हैं, वह आप हो। इससे ही संभ्रम पैदा हो रहा है। इस पर हमें यहां विचार करना है। जनजाति समाज और उनके मुद्दों पर शोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। शोध का प्रारंभ विश्वविद्यालयों से होगा, तभी इसका समाधान हो पाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक, आयोग की सचिव श्रीमती अलका तिवारी, आईसीएसएसआर के चेयरमैन प्रो. जे. के. बजाज, विद्वतजन व अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

विश्वविद्यालयों के छात्र करेंगे जनजाति के नायकों पर शोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में 3 जुलाई को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिल्ली आईआईटी में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के 52 विश्वविद्यालयों के कुलपति और उनके प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान, माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी और (आई.सी.एस.एस.आर) के चेयरमैन श्री डॉ. जे. के. बजाज ने संवाद किया।

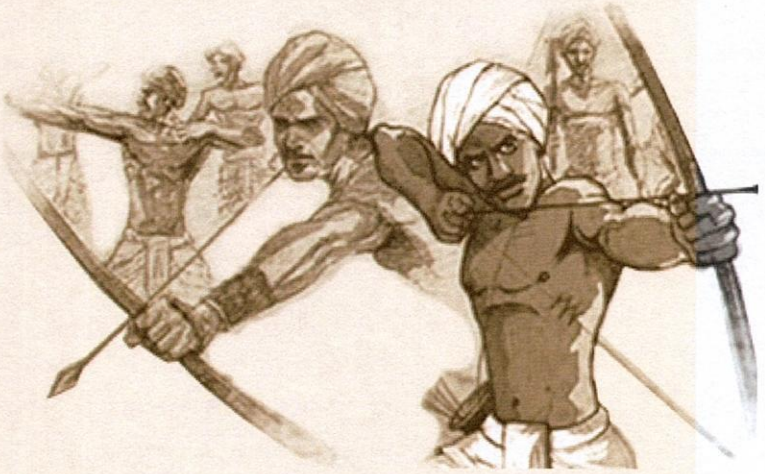

संवाद के दौरान यह चर्चा की गई कि कैसे जनजाति विषयों और नायकों पर भी विश्वविद्यालयों में जनजातियों की अस्मिता, अस्तित्व और विकास को ध्यान में रख कर शोध शुरू किए जा सकते हैं। इस अवसर पर आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान कहा कि जनजाति समाज की बात को बहुत देर से समझा जाता है इसलिए इस कार्य में अत्यधिक देर न हो इसका हमें खास ध्यान रखना है। जनजाति समाज की परिभाषा अंग्रेजों ने बदल दी थी जो अभी भी वैसी ही दिखाई जाती है। इसका निराकरण विश्वविद्यालयों के पास है। उन्हें इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देशभर में कई जगहों पर जनजाति नायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़ी और अहम लड़ाइयां लड़ी हैं। देश की आजादी के लिए बलिदान भी दिया है। लेकिन आज हम कुछ ही नायकों को जानते हैं। अन्य भी बहुत से ऐसे नायक हैं जिनके बारे में छात्र और समाज के लोग नहीं जानते हैं। यहां तक कि जनजाति समाज के लोग भी इस बारे में अनभिज्ञ हैं। श्री चौहान ने कहा, ऐसे ही गुमनाम नायकों के नाम समाज के सामने आ सकें इसके लिए सार्थक प्रयास किए जाने जरूरी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर यह पहल करने जा रहा है। इसके तहत विश्वविद्यालय उनके यहां जनजाति समाज के नायकों पर शोध कार्य को बढ़ावा देंगे। छात्रों को भी प्रेरित किए जाएगा कि वे जनजाति समाज के नायकों पर शोध करें ताकि अन्य छात्र और समाज भी उनके बारे में जान सकें।

वनाधिकार पर आयोजित हुई कार्यशाला

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 9 और 10 जुलाई को वनाधिकार अधिनियम एवं सामुदायिक वनाधिकार के बाद वन विभागों की भूमिका विषय पर दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में देश भर से जनजाति समाज के वनाधिकारों के लिए कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ताओं तथा वनविभाग के पूर्व अधिकारियों ने सहभागिता की।

कार्यशाला के दौरान जो अनुभव आया वह यह था कि जनजाति समाज का सबसे अधिक संघर्ष वन विभाग के साथ होता है। जनजाति समाज और वन विभाग में हो रहे विवादों तथा संघर्षों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है वनाधिकार कानूनों का अनुपालन। यदि वन विभाग वनाधिकार अधिनियम 1996 पर अमल करे, तो अधिकांश संघर्ष समाप्त हो सकते हैं।

संगोष्ठी के दो दिनों में इस पर विस्तृत चर्चा की गई कि वनाधिकार कानूनों के अनुपालन में कौन सी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं? वन विभाग की क्या आपत्तियां हैं? और उनका कैसे समाधान निकाला जा सकता है ? वनाधिकार पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनजाति समाज के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की अनेक घटनाओं का भी उल्लेख किया और बताया कि किस प्रकार वन विभाग के अड़ियल व्यवहार के कारण अनेक जनजाति गांवों के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वनाधिकार कानूनों के विशेषज्ञों का मानना था कि ऐसा होने का मूल कारण है वनाधिकार पर विरोधाभासी कानूनों का होना। स्वाधीनता मिलने से पहले बनाए गए औपनिवेशिक कानून, भारतीय वन अधिनियम के बहुत से प्रावधान जनजातियों के विरोध में हैं और इसलिए वर्ष 1996 में वनाधिकार अधिनियम की रचना की गई। परंतु वन विभाग अभी भी केवल भारतीय वन अधिनियम से ही संचालित होता है। उसे वनाधिकार अधिनियम की न तो कोई जानकारी है और न ही वह उसे जानना चाहता है।

संगोष्ठी के समापन समारोह में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने कहा कि वन विभाग की भूमिका औपनिवेशिक काल से ही मालिक की रही है। इसे बदलना कठिन प्रतीत होता है। ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण और स्थानीय लोगों के विवेक पर विश्वास करने से ही इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की इस कार्यशाला से जो सुझाव सामने आएंगे, उनसे वन विभाग और जनजाति समाज के बीच सामंजस्य बैठाने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक, वनाधिकारों को लेकर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वतजन और अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

जन-जन तक पहुंचेगी जननायकों की वीरगाथा, एनसीएसटी की कार्यशाला में हुआ चिंतन!

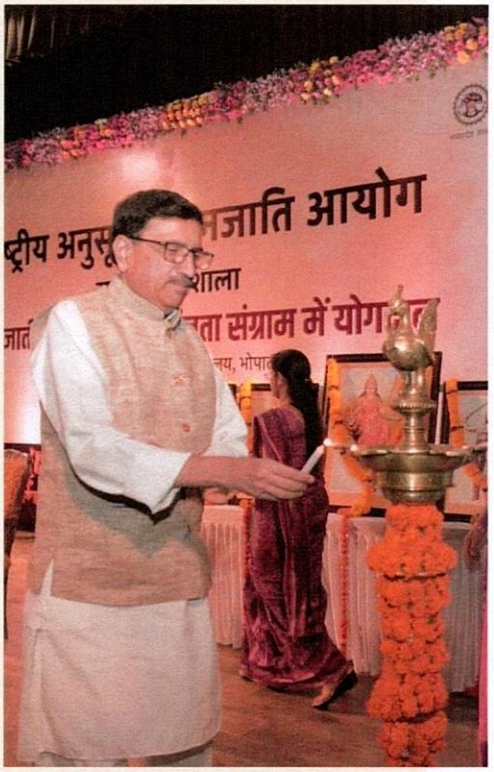

विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रबंध किए गए है। भारत में मौजूद जनजाति वर्ग का काफी लंबा इतिहास रहा है परन्तु अंग्रेजों ने जनजाति वर्ग के लिए जो परिभाषा तय कर दी थी वही बनी हुई है। ये शब्द राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान् ने जनजाति संग्रहालय भोपाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान कहे।

उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के बारे में पूरे समाज और हमारे युवाओं को इस इतिहास के बारे में फिर से याद करने की जरूरत है। जो समाज अपने पूर्वजों के किए हुए काम को याद नहीं रखता उसका विकास संभव नहीं है! माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है इसलिए देश में एक नया संदेश देने की योजना बन रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जनजाति समाज ने कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार ही नहीं की। उल्लेखनीय है कि 12 जून को जनजाति संग्रहालय भोपाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में देश भर के 19 प्रांतों से आए बुद्धिजीवियों, विद्वतजनों और विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए प्राध्यापकों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान जनजाति नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान विषय पर शोध एवं अनुसंधान हेतु कार्य योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक भी मौजूद रहे।

मूल संस्कृति को प्रभावित किए बिना पहुंचाएं योजनाओं का लाभ

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक ने 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जिलाधिकारी सभाकक्ष में जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनकी मूल संस्कृति प्रभावित न हो। उनकी संस्कृति और मूल परिवेश के अनुरूप ही, योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास विभागों को करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और स्वरोजगार का पूरा प्रबंध होना चाहिए। माननीय सदस्य ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी को आयोग के सामने वास्तविक जानकारी प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक में जिला पंचायत, सांख्यिकी, शिक्षा, कृषि, रोजगार, अंत्यावसायी, सहकारिता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पीएचई, खाद्य, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, परियोजना प्रशासक, श्रम, महिला व बाल विकास, पशुधन विकास, मत्स्य पालन, आदि विभागों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।

मीडिया में आयोग की खबरें

पेट्रोल डालकर छात्र को पीटने का मामला

एनसीएसटी ने लिया स्वतः संज्ञान

- इंदौर के जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त से 3 दिन में मांगा जवाब

ब्यूरो | नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक 'जिसके गुप्तांग में पेट्रोल डालकर पीटा, वो बेकसूर' पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इंदौर के जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे 3 दिन के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा है।

यह खबर 12 जुलाई को दैनिक भास्कर में छपी थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक जिला कलक्टर और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने रिपोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई कार्रवाई, आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दाखिल करना, पीड़ित परिवार को मौद्रिक राहत और पुनर्वास पैकेज आदि के संबंध में सूचना मांगी है। आयोग ने यह भी साफ किया है कि अगर निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं मिलता है ता आयोग सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करते हुए संबंधित अधिकारी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी करेगा। दरअसल इंदौर में मकान मालिक सहित 4 लोगों ने 50 हजार रूपये लेने के शक में किरायदार आदिवासी छात्र को पेट्रोल डालकर पीटा था।

जनजातीय समाज बोझ नहीं बल्कि एक संपदा है : चौहान

ब्यूरो|नई दिल्ली. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा है कि भारत में जनजातीय समाज की प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थिति रही है। जनजातीय समाज बोझ नहीं, बल्कि एक संपदा है। इस समाज को लेकर और शोध की आवश्यकता है।चौहान ने यह बात आईआईटी, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज एक मौन समाज है, वह शोर नहीं मचाता। लेकिन समस्या यह है कि चाहे नीति निर्माता हों या फिर तय नीतियों को क्रियान्वित करने वाले लोग, उन्हें जनजातीय समाज की बहुत कम जानकारी है। पहले अनुसूचित जाति और जनजाति का एक ही मंत्रालय था, जबकि दोनों समाज की समस्याएं अलग-अलग हैं। इस बात को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा और अनुसूचित जनजाति समाज के लिए पृथक मंत्रालय का गठन किया। चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस समाज पर ध्यान दिया है और कई योजनाएं बनाई हैं। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जनजाति समाज के नायकों को लेकर शोध करने के लिए कहा है, ताकि उन नायकों की कहानियां भी लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही जनजातीय समाज से जुड़े विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है।

THE NEW INDIAN EXPRESS

NATION WORLD STATES CITIES BUSINESS SPORT GOOD NEWS MOVIES PHOTO

Home › Nation

NSA invoked against Indore man accused of assaulting tribal student; panel seeks report

NCST has taken suo moto (on its own motion) cognizance of the incident -- that had triggered protests -- and issued notices of the Indore district collector and the city's commissioner of police.

Published: 15th July 2022 11:28 PM | Last Updated: 15th July 2022 11:28 PM

Image for representational purposes. (File Photo)

By PTI

INDORE: The district administration on Friday invoked the stringent National Security Act (NSA) against one of the accused allegedly involved in torturing a 21-year-old tribal student in Indore last week, officials said.

विज़न न्यूज़ सर्विस

अ.ज.जा. वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करें : नायक

Posted On:- 2022-07-16

गरियाबंद (वीएनएस)। जिले में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक के अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों का विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई।

आदिवासी युवक के गुप्तांग में डाला पेट्रोल, सद्दाम, आदिल सहित 4 ने बेरहमी से पिटाई के बाद घटना को दिया अंजाम: इंदौर प्रशासन को NCST का नोटिस, माँगी रिपोर्ट

National Commission for Scheduled Tribes
Government of India

मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore, Madhya Pradesh) के आदिवासी युवक पंकज को 4 मुस्लिम युवकों द्वारा बांध कर मारने और उसके गुप्तांग में पेट्रोल डालने के प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इंदौर के DM और कमिश्नर को नोटिस देते हुए इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी 3 दिनों के अंदर भेजने के लिए कहा है। आयोग ने यह नोटिस 14 जुलाई 2022 (गुरुवार) को जारी की है।

अमर उजाला

होम › देश शहर और राज्य मनोरंजन ज्योतिष दुनिया नौकरी More ···

Hindi News › India News › Students Of JNU, DU Will Do Research On The Unsung Heroes Of Freedom.

Unsung Heroes: जेएनयू, डीयू के छात्र करेंगे आजादी के गुमनाम नायकों पर शोध, देश के 54 विश्वविद्यालय में एक साथ शुरू होगी रिसर्च

अमर उजाला, डिजिटल ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Amit Mandal Updated Sun, 03 Jul 2022 11:28 PM IST

सार

अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से बुलाई गई इस अहम बैठक में देशभर में जेएनयू, डीयू समेत देश के 54 विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए।

विस्तार

पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को आईआईटी दिल्ली में देशभर के सभी अहम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का जमावड़ा लगा। इस दौरान विश्वविद्यालयों के छात्र कैसे जनजाति नायकों की कहानी,संस्कृति और सभ्यता के बारे में जान सके इसे लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने की। इस दौरान आयोग के सदस्य अनंत नायक समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।

अहम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का जमावड़ा - फोटो : Amar Ujala

लेटेस्टली

होम / एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | आदिवासी छात्र के गुप्तांग में पेट्रोल डाले जाने पर राष्ट्रीय आयोग का नोटिस, आरोपी के खिलाफ रासुका

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इंदौर में आदिवासी समुदाय के 21 वर्षीय एक छात्र के गुप्तांग में पेट्रोल डालकर उसे प्रताड़ित किए जाने की घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

Bhasha | Jul 15, 2022 08:46 PM IST

दिप्रिंट

होम राजनीति देश डिफेंस एजुकेशन हेल्थ अर्थजगत विदेश मत-विमत समाज-संस्कृति

एनसीएसटी ने एसटी पदों पर भर्ती के मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को तलब किया

नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को राज्य में अनुसूचति जनजाति (एसटी) के लिए रिक्त पदों को भरने से संबंधित मामले में एक जून को पेश होने के लिए समन जारी किया है।

रालेगांव के विधायक अशोक वूइके ने पूर्व में आयोग से शिकायत की थी कि राज्य में अनुसूचति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित 11,435 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कई लोगों ने फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नौकरियां प्राप्त कीं।

MIRROR NOW

MP shocker! Tribal woman set on fire, incident filmed on cam as she screams for help in Guna; video goes viral

Madhya Pradesh News: On Saturday, when the accused were ploughing the encroached land, Rampyari reached the field and tried to stop them. At this, the three allegedly poured diesel on her and set her ablaze.

Mirror Now Digital

Tribal woman set on fire, incident filmed on cam as she screams for help in Guna; video goes viral

Photo : Twitter

Bhopal: In a shocking incident, a tribal woman was allegedly set on fire and later a group of villagers filmed the incident on camera as she kept screaming for help to save her in the Guna district of Madhya Pradesh. A video in which the woman can be seen ablaze has gone viral on social media platforms.

The victim identified as 38-year-old Rampyari Bai belongs to a particularly vulnerable tribal group (PVTG). She is battling for her life with severe burn injuries at a hospital, police said on Sunday.

Devdiscourse

NCST notice to Guna administration after tribal woman set on fire over land row

The National Commission for Scheduled Tribes NCST has issued a notice to the district magistrate of Guna in Madhya Pradesh, seeking details of action taken after a tribal woman was allegedly set on fire over a land dispute.According to reports, the 38-year-old woman belonging to the Saharia tribe, a particularly vulnerable tribal group, and her husband had complained to local police about a threat to their lives, claiming some powerful men wanted to grab their land in Dhanoria village.

PTI | New Delhi | Updated: 05-07-2022 11:07 IST | Created: 05-07-2022 11:07 IST

Country: India

The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has issued a notice to the district magistrate of Guna in Madhya Pradesh, seeking details of action taken after a tribal woman was allegedly set on fire over a land dispute.

NCST summons Maha chief secy in fake caste certificates related matter

₹30.06

| Wednesday | 20th July, 2022

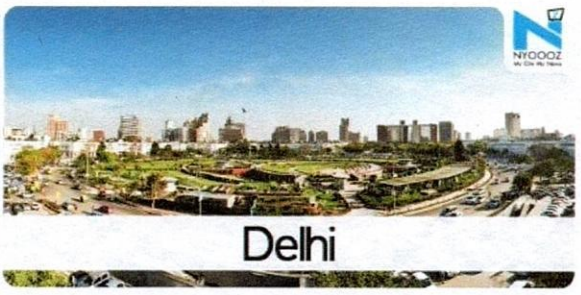

New Delhi, July 20 (PTI) The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has issued summons to Maharashtra Chief Secretary Manu Kumar Srivastava for not complying with its recommendation in a matter related to the issuance of fake caste certificates for jobs reserved for tribals.Ralegaon MLA Ashok Wooike had earlier alleged that a number of people in the state got the jobs reserved for Scheduled Tribes by furnishing fake certificates.He had also said that 11,435 posts reserved for tribals are lying vacant in the state.Taking cognisance of the matter, the NCST had issued a notice to Srivastava on April 25, asking him to submit facts and an action taken report within a week.With Srivastava not replying to the notice, the commission exercised the power of a civil court conferred upon it under Section 8 of Article 338A of the Constitution and issued summons to the chief secretary, asking him to appeal before NCST member Ananta Nayak on June 1.On behalf of the chief secretary, the secretary had appeared. The commission had asked the state authorities to provide a report on the number of the people in service

ThePrint

POLITICS | GOVERNANCE | ECONOMY | DEFENCE | INDIA | FEATURES | OPINION | EVENTS

India

NSA invoked against Indore man accused of assaulting tribal student; panel seeks report

PTI 15 July, 2022 11:01 pm IST

Indore, Jul 15 (PTI) The district administration on Friday invoked the stringent National Security Act (NSA) against one of the accused allegedly involved in torturing a 21-year-old tribal student in Indore last week, officials said.

In a related development, the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has issued notices to the authorities in Madhya Pradesh, seeking an action taken report (ATR) on the incident within three days, they said.

THE NEW INDIAN EXPRESS

NATION | WORLD | STATES | CITIES | BUSINESS | SPORT | GOOD NEWS | MOVIES | PHOTO

Home › States › Odisha

NCST summons Odisha government, seeks report on displaced Schedule Tribe people

In the undivided Koraput district alone, the tribal displacement was 58 per cent (pc), which comes to around six pc of the total population of the district.

Published: 08th July 2022 08:01 AM | Last Updated: 08th July 2022 09:20 AM | A- A A+

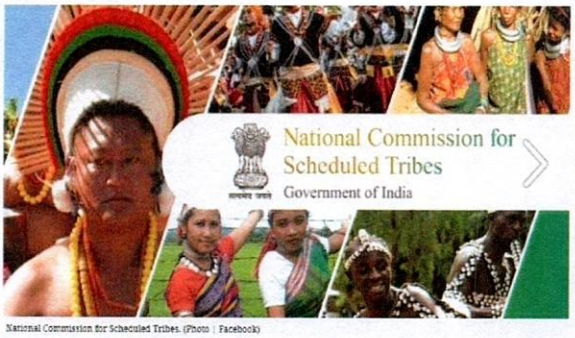

National Commission for Scheduled Tribes. (Photo | Facebook)

By Express News Service

BHUBANESWAR: The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has issued notice to the government over the plight of lakhs of scheduled tribe people displaced by various projects in different districts of the State. The NCST has sought a detailed report from the Chief Secretary within a month.

दैनिक भास्कर

समीक्षा: अनंत नायक ने कहा मूल संस्कृति को प्रभावित किए बिना पहुंचाएं योजनाओं का लाभ

गरियाबंद 16 दिन पहले

सत्यमेव जयते

मुख्यालय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठवा तल, बी—विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली - 110 003

संपर्क नंबर: 011-24604689

टोल फ्री नंबर: 1800-11-7777

शिकायत हेतु: https://ncstgrams.gov.in/

वेबसाइट: www.ncst.nic.in